न्यायालय आर्बीट्रेटर (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 08/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1–बगतूदेवी पत्नी स्व. भीखाराम 2–हमीराराम पुत्र स्व. भीखाराम 3–ओमाराम पुत्र स्व. भीखाराम 4–चुनाराम पुत्र स्व. भीखाराम 5–मोहनराम पुत्र स्व. भीखाराम 6–रामुराम पुत्र स्व. पूनमराम जाति जाट निवासीगण गगाड़ी तहसील तिवरी जिला जोधपुर।		1– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन ईकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमाार्ग प्राधिकरण, 188 उम्मेद हेरिटेज, जोधपुर 2– भारत सरकार जरिये उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली। 3– सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां

मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(G)(5) नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में पारित भूमि अवाप्ति का अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 न्यायालय सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर के विरूद्ध

Signature Not Verified

उपस्थिति **आदेश दिनांक 07.03.2022**

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2. श्री विनोद शर्मा अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष –1, 2)
3. अप्रार्थी सं0– 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्मांकः NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 वे द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि जोधपुर जिले में भारतमाला परियोजना (लॉट4/पैकेज-6) वे अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर-कॉडला परियोजना वे राष्ट्रीय राजमार्ग सं0- 754k किमी 261.743 से से 349.743 किमी (औसियां) तक(चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु ग्राम गगाड़ी तहसील तिंवरी स्थित भूमि ख.नं. 210/5 व ख. नं. 210/6 रकबा 13824 वर्गमीटर सिंचित कृषि भूमि भी सम्मिलित है, के अर्जन/अवाप्ति की करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3A, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 20.08.2018 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन एवं 3D की अधिसूचना दिनांक 07.01.2019 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आंमत्रित किये गये तथा दिनांक 01.03.2019 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां (अप्रार्थी-3) द्वारा एवार्ड पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीशचन्द्र शर्मा, विनोद शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष-3 का नोटिस बाद तामील लौटा तथा अप्रार्थी-2 का नोटिस रजिस्टर्ड भेजा गया तथा नोटिस डिलीवर्ड होने की ट्रेक रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अप्रार्थीपक्ष-1 व 2 की ओर से दिनांक 06.01.2021 को जबाब प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जोधपुर जिले में भारतमाला परियोजना (लॉट-4/पैकेज-6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर-कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के 261.743 किमी से 349.743 किमी (औसियां) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिये निजी/सरकारी भूमि जिसमें प्रार्थीगण की ग्राम गगाड़ी तहसील तिवरी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 210/5 व 210/6/1 रकबा 13824 वर्गमीटर कृषि भूमि सम्मिलित है, के

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:43 IST
Reason: Self Attested

अर्जन/अवाप्ति की करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3A, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 20.08.2018 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन एवं 3D की अधिसूचना दिनांक 07.01.2019 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया तथा उपरोक्त अवाप्त की गई भूमि बाबत् दिनांक 01.03.2019 को अप्रार्थी–3 द्वारा अवॉर्ड पारित किया, जिसमें प्रार्थीगण की सामलाती सिंचित कृषि भूमि ग्राम गगाड़ी के खसरा नम्बर 210/5 व 210/6 रकबा 13824 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा राशि का अवॉर्ड पारित किया गया उसमें बारानी भूमि किस्म मानते हुए किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से संशोधन योग्य है। प्रार्थना पत्र में आगे यह भी बतलाया कि प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि ग्राम मुख्यालय से आधा किमी दूर व मुख्य सड़क पर स्थित है अतः आबादी भूमि की दर से मुआवजा निर्धारण करना चाहिए। ख.नं. 210/5 रकबा 24.06 बीघा व ख.नं. 210/6/1 रकबा 24.05 बीघा के बीच में से भूमि अवाप्त हो जाने से प्रार्थीगण की भूमि के दो टुकड़े हो गए है एवं 11 बीघा भूमि का टुकड़ा रोड़ के अवाप्तसुदा भूमि से पश्चिम की ओर एवं 29 बीधा भूमि पूर्व की ओर चला गया है इस कारण उक्त भूमि से सिंचित होने वाली आय से हमेशा के लिए वंचित हो गये।

प्रार्थना पत्र में आगे यह भी बतलाया कि खसरा नम्बर 210/5 व 210/6 में प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि सीमा पर तारबंदी मय जाली की हुई थी तथा 600 फीट तारबंदी प्रभावित होने से प्रतिवर्गफीट 300/– रूपये खर्च आने से 1,80, 000/– क्षति हुई तथा अवाप्त भूमि के दोनों ओर जाली व तारबंदी पुनः करने पर 7,20,000/– खर्चा आयेगा अतः प्रार्थीगण उपरोक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अवाप्त भूमि में रोहिड़ा के 14 पेड़, खेजड़ी के 05 पेड़ व 03 पेड़ नीम के व 04 बबुल का है तथा इन पेड़ों में रोहिड़ा के पेड़ो की 10000/– प्रति पेड़ के हिसाब से 1,40,000/– व अन्य 12 पेड़ों की कीमत 5000 /–रूपये प्रति पेड़ की दर से 60,000/– रूपये मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति की राशि कुल 4,00,000/– रूपये होने से प्रार्थीगण को दिलाये जाने की इस्तदुआ की गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा पारित अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 की प्रमाणित प्रति।
2. ग्राम गगाड़ी के नक्शा किश्तवार ख.नं. 210 की प्रमाणित प्रति।
3. ग्राम गगाड़ी वे खसरा 210 की मौका रिपोर्ट जो हलका पटवारी द्वारा तैयार की गई की फोटो प्रति।

4. ग्राम गगाड़ी के खसरा सं0 210/5 की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता सं0 181 की प्रमाणित प्रति।

5– ग्राम गगाड़ी के खसरा सं0 210/6 की जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 प्रमाणित प्रति

6–ग्राम गगाड़ी के ख.नं. 210/3 की जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 प्रमाणित प्रति

7–ग्राम गगाड़ी के ख.नं. 210/4 की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक प्रमाणित

अप्रार्थीपक्ष–1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जबाब में बतलाया गया कि प्रार्थना पत्र के मद सं0–1 में वर्णित अभिकथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि सड़क से दूर स्थित है न कि सड़क के पास स्थित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपना अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 को पारित करने से पूर्व प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि का निर्धारण उप पंजीयक तिंवरी से केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए की दिनांक 20.08.2018 को बाजार दर मंगवाई जाकर किया गया। जबाब में यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए व 3डी के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना में वर्णित तथा अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 में वर्णित की भूमि भारतमाला परियोजना (लॉट–4/पैकेज–5) इकोनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 754k के लिये प्रार्थी की भूमि अवाप्त की गई है जो कि नयी रोड़ के विकास के लिए मार्गाधिकार हेतु अवाप्त की गई है क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजमार्ग के 4/6/8 लेन के अनुसार 45 मीटर से 70 मीटर तक ही होता है। जब भी सड़क का निर्माण किया जाता है तब सामान्यतः सड़क के एक लीनियर प्रोजेक्ट होने के कारण खातेदार की भूमि दो भागों में विभाजित हो ही जाती है अतः किसी भी हितधारी की भूमि को ध्यान मे रखकर सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है। प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि के मुआवजा की राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अक्षरतः पालन करते हुए की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जबाब में आगे कहा कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सीमा पर तारबंदी मय जाली चल सम्पति (Movable Property) है जिसे प्रार्थीगण कहीं भी आसानी से ले जाकर अन्य जगह प्रयोग में ले सकता है अतः प्रार्थीगण की तारबंदी व जाली का नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है। खसरा नम्बर 210 मय बटा नम्बर की अवाप्तसुदा भूमि में से रोहिडे के 8 पेड़, खेजड़ी का 01 पेड़, नीम के 02 पेड़ तथा बबुल के 03 अवाप्ति मे आये हुए उक्त पेड़ पौधों के मुआवजा का निर्धारण करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पॉलिसी सर्कुलर दिनांक 10.04.2017 की पालना में राजस्व विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग

कृषि विभाग के विशेषज्ञों व अभियताओं एवं एन एच ए आई के प्रतिनिधियों के संयुक्त सर्वे के दौरान अवाप्तसुदा भूमि पर अवस्थित संरचनाओं, पेड़ पौधे, कुंए, नल–कूप, विद्युत कनेक्शन अथवा पम्पसेट स्थित कुओं तथा बोरिंग इत्यादि की मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित स्वतंत्र कन्सलटेन्ट/इंजीनियर से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बैसिक शिड्युल ऑफ रेट के अनुसार मूल्यांकन कराकर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 63 मय बटा नम्बर की अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित उक्त पेड़–पौधों का कुल 65,690.70/– रूपये के मुआवजा का सामलाती अवॉर्ड दिनांक 26.11.2019 को पारित कर दिया गया। बहस के अंत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 को यथावत रखने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हुए।

1– राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 20.08.2018 की फोटो प्रति।
2– राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 07.01..2019 की फोटो प्रति।
3– भूमि अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 की फोटो प्रति।
4– पेड़ पौधों का अवॉर्ड दिनांक 26.11.2019 की फोटो प्रति।
5– भू अवाप्ति का संशोधित अवॉर्ड दिनांक 26.06.2020 को जारी किया गया की फोटो प्रति।

दिनांक 23.02.2022 को उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण की ग्राम गगाड़ी की ख. नं. 210/5 व 210/6 रकबा 13824 वर्गमीटर अवाप्त कर कुल मुआवजा राशि का अवॉर्ड पारित किया गया उसमें पेड़, तारबंदी का मुआवजा नहीं दिया गया या भूमि अवाप्त हो जाने से प्रार्थीगण की भूमि के दो टुकड़े हो गए है जिसमें नई तारबंदी व जाली अवाप्त भूमि के दोनो ओर करनी पडेगी इस कारण अत्यधिक खर्चा होगा। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित पेड़ों एवं तारबंदी व जाली बाबत् क्षति का मुआवजा दिलाये जाने का आदेश दिया जाय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीपक्ष–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण की सामलाती कृषि भूमि ग्राम गगाड़ी के ख.नं. 210/5 व 210/6 की कुल 13824 वर्गमीटर भूमि पूर्व में सड़क सीमा से दूर मानकर किया गया उस बाबत् प्राप्त आपत्तियों व पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 26.06.2020 को भूमि के अवाप्ति का संशोधन अवॉर्ड पारित किया गया जिसकी प्रति भी पत्रावली में प्रस्तुत की जा चुकी है। बहस में आगे कहा कि

प्रार्थीगण अवाप्तसुदा भूमि पर स्थित कुल पेड़ पौधों के मुआवजा का निर्धारण करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पॉलिसी सर्कुलर दिनांक 10.04.2017 की पालना में राजस्व विभा, वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग के विशेषज्ञों व अभियताओं एवं एन एच ए आई के प्रतिनिधियों के संयुक्त सर्वे के दौरान अवाप्तसुदा भूमि पर अवस्थित संरचनाओं, पेड़ पौधे, कुंए, नल–कूप, विद्युत कनेक्शन अथवा पम्पसेट स्थित कुओं तथा बोरिंग इत्यादि की मूल्यांक्न रिपोर्ट संबंधित स्वतंत्र कन्सलटेन्ट/इंजीनियर से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बैसिक शिड्युल ऑफ रेट के अनुसार मूल्यांकन कराकर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 210 मय बटा नम्बर की अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित उक्त पेड़–पौधों का कुल 66,960.70/– रूपये के मुआवजा का सामलाती अवॉर्ड दिनांक 26.11.2019 को पारित कर दिया गया। बहस में यह भी कहा कि के प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सीमा पर तारबंदी मय जाली चल सम्पति (Movable Property) है जिसे प्रार्थीगण द्वारा कही भी आसानी से ले जाकर अन्य जगह प्रयोग में ले सकता है अतः प्रार्थीगण की तारबंदी व जाली का नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है। अंत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवॉर्ड दिनांक 01.03.2019 व संशोधन अवॉर्ड को यथावत रखने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का भी अध्ययन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार– The competent authority or the arbitrator while Determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

(a) the market value of the land on the Date of publication of the notification under section 3A;

(b) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;

(c) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:01:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी सं0–एक की ओर से कथन है कि उसकी अवाप्ताधीन भूमि सडक सीमा के नजदीक होने के उपरान्त भी सडक से दूर मानते हुए बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया गया जबकि अप्रार्थीपक्ष की ओर से इस बाबत् प्रत्युत्तर में कहा गया कि अवाप्ति अवॉर्ड जारी करने के पश्चात् कई हितधारी व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सड़क सीमा के नजदीक होने की आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसकी जांच रिपोर्ट मंगवाई गई तथा जांच रिपोर्ट में ख.नं. 210 मय बट्टा नम्बर की भूमि को सड़क सीमा से नजदीक मानते हुए संशोधन अवॉर्ड आदेश दिनांक 26.06.2020 पारित किया जा चुका है तथा भूमि अवाप्ति संशोधित अवॉर्ड की फोटो भी पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2070– 2073 तक दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि अवाप्ताधीन भूमि की किस्म बारानी चतुर्थ है तथा इसको आधार मानते हुए भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया, विधिसम्मतः होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

प्रार्थीगण का यह कथन भी है कि प्रार्थीगण की अवाप्ताधीन कृषि के चारो ओर तारबंदी एवं जाली लगी होने से उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा राशि में सम्मिलित नहीं किया गया इस बाबत् अप्रार्थीपक्ष का कथन है कि तारबंदी मय जाली चल सम्पति (Movable Property) है जिसे प्रार्थीगण द्वारा कही भी आसानी से ले जाकर अन्य जगह प्रयोग में ले सकता है। अतः तारबंदी व जाली का नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है, हम अप्रार्थीगण के अधिवक्ता इस तर्क से सहमत है कि तारबंदी एवं जाली चल सम्पति है तथा आसानी से ले जाकर अन्य जगह प्रयोग में ले सकते है, परन्तु तारबंदी को हटाने या अन्य जगह ले जाने पर अवश्य धन व श्रमशक्ति का व्यय होता है अतः प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में देय होता है।

प्रार्थीपक्ष की ओर जबाब एवं बहस में यह भी बतलाया कि प्रार्थीगण की भूमि जो अवाप्ताधीन हुई उसमें खसरा नम्बर 210 मय बटा नम्बर की अवाप्तसुदा भूमि में से रोहिडे के 8 पेड़, खेजड़ी का 01 पेड़, नीम के 02 पेड़ तथा बबुल के 03 स्थित कुल पेड़–पौधों बाबत् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 210 मय बटा नम्बर की अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित उक्त पेड़–पौधों का कुल 66,960.70/– रूपये के मुआवजा का सामलाती अवॉर्ड दिनांक 26.11.2019 को पारित किया जा चुका है, प्रार्थीगण को अनुतोष दिया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के संबंध में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां को निर्देशित किया जाता है कि अवाप्ताधीन भूमि पर लगी तारबंदी एवं जाली को हटाने एवं नई

जगह शिफ्ट करने से प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000/– रूपये दिये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पंचाट आदेश प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां तथा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, 188 उम्मेद हेरिटेज जोधपुर को शीघ्र पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested